न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

मुकदमा नम्बरः– 169 / 2019 (2019 / 00263)

उनवान

धर्मेद दत्तक पुत्र समुदसिंह कोम राजपूत निवासी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 209 राज.काश्त.अधिनियम सपठित धारा 136 राज.भू.राज.अधि.

–:: निर्णय ::–

दिनांक 25.10.2021

प्रकरण प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प लसाडिया केम्प के दौरान प्रस्तुत किया । संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रिकॉर्ड के कुल किता 5 कुल रकबा 1.71 है. खाता स. नया 151 पुराना 145 में वादी खातेदार कृषक दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम धर्मेन्द्र सिह पुत्र देवराज इन्द्राज किया हुआ है जो नामान्तकरण स. 234 दिनांक 2.7.2004 के विरासत धर्मेद्र दत्तक [redacted]मुद्रसिंह कोम राजपूत साकिनदेह खातेदार दर्ज हुआ का इन्द्राज बदस्तुर रहें । वादी द्वारा [redacted]आराजीयात बाबत दिनांक 17.7.2019 को सहकारी बैंक में किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु गया जहा वादी का नाम राजस्वरिकॉर्ड एव मतदाता पहचान पत्र में नाम अलग–अलग होने कृषि ,ऋण देने से इन्कार कर दिंया । अत:वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

जिसमें वाद पत्र की डिकी इस आशय की जारी की जावें कि राजस्व रिकॉर्ड में धमेन्द्र सिह पुत्र देवराज सिह साकिन देह खातेदार जमबान्दी स. 2069–72 के खाता स. नया–पुरान 151–146 के स्थान पर नामा.स. 234दिनांक 2.7.2004 के विरासत नामा. अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में धर्मेन्द्र सिंह दतत्क पुत्र समुन्द्र सिह कोम राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज किया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसकें अनुसार वाद पत्र में अंकित आराजी धर्मेद्र दत्तक पुत्र देवराज कोम राजपूत साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है ग्राम लसाडिया की अन्य खातो में धर्मेन्द्र सिंह दतत्क पुत्र समुन्द्र सिह खातेदार के नाम दर्ज है। वादी धर्मेन्द्र सिंह पुत्र देवराजसिंह एंव धर्मेन्द्र सिह दत्तक पुत्र समुन्द्र सिह राजपूत एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता दो नाम दर्ज होने से वादी ने एक नाम दर्ज करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। ग्राम लसाडिया में धर्मेन्द्र सिंह कोम राजपूत अन्य कोई व्यक्ति नही है। धर्मेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र समुन्द्रसिंह कोम राजपूत [redacted] में दर्ज करावाना चाहाता है। अत: मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर धर्मेन्द सिह पुत्र देवराज सिंह कोम राजपूत के स्थान पर धर्मेन्द्र सिह दत्तक पुत्र समुन्द्रसिह कोम राजपूत दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । वकील वादी व पेरोकार को सुना गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. नया–पुराना 151–146 कुलकिता 1.71 है. नामा.स. 234 दिनांक 2.7.2004 के अनुसार धर्मेन्द सिह पुत्र देवराज सिंह कोम [redacted] के स्थान पर धर्मेन्द्र सिह दत्तक पुत्र समुन्द्रसिह कोम राजपूत दर्ज किया जावें। तहसीलदार [redacted] में अमल दरामद की कार्यवाही [illegible] जारी की जावें। खर्चा फरिकेन [redacted] ।

[redacted] आम प्रशासन गांव के संग [illegible] लसाडिया में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:36 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं [illegible] केकड़ी,

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और7)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उनवान

धर्मेंद्र दत्तक पुत्र समुद्रसिंह कोम राजपूत निवासी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वाद पत्र:— अंतर्गत धारा 209 राज.काश्त.अधिनियम सपठित धारा 136

मुकदमा नम्बर:— 169/2019 (2019/00263)

निर्णय दिनांक:— 25.10.2021

ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी स. 2069—72 के खाता स. नया—पुराना 151—146 कुलकिता 1.71 है. नामा.स. 234 दिनांक 2.7.2004 के अनुसार धर्मेन्द सिह पुत्र देवराज सिंह कोम राजपूत के स्थान पर धर्मेन्द्र सिह दत्तक पुत्र समुन्द्रसिह कोम राजपूत दर्ज किया जावें। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। डिकरी पर्चा जारी किया गया। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करें।

यह आज तारीख 25.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:18:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner